कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अलीगढ़।

पत्रांकःपेट्रो–113/सीएफओ/अलीगढ–2017/384
दिनांकःअप्रैल 07,2017

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
जनपद अलीगढ।

विषय– **खसरा/गाटा स0–28, ग्राम सिकन्दरपुर भुकरावली, तहसील कोल, जनपद अलीगढ पर मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 का नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– 1–आपका पत्र संख्याः591/जि0पू0अ0/पेट्रो0अनु0/17 दिनांकः30.03.2017.
2–आवेदक का यूआईडी नं0–2017/28891/एएलएच/एआईएच/577/सीएफओ दिनांकः03.04.2017.

कृपया उपरोक्त विषयक अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित रिटेले आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अपेक्षा की गई है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थलीय/मानचित्रों एवं अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी बन्नादेवी, अलीगढ श्री संजय कुमार जायसवाल से पेट्रोलियम रूल्स–2002 के अनुसार कराया गया तो उनकी प्राप्त संस्तुति आख्या दिनांकः06–04–2017 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

1– कुल भूखण्ड ऐरिया–615 वर्ग मीटर।
2– प्रस्तावित स्थल के सामने पहुँच मार्ग–40 मीटर रोड की चौड़ाई पायी गयी।
3– प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई हाई टेन्शन/लोटेन्शन विधुत लाइन नही गुजर रही है।
4– प्रस्तावित स्थल पेट्रोलियम रूल्स–2002 के अनुसार अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही/सुरक्षित पाया गया। स्थल पर किसी प्रकार आपत्तियुक्त तथ्य नहीं पाया गया।

अतः अग्निशमन अधिकारी, बन्नादेवी अलीगढ की संस्तुति आख्या के आधार पर खसरा/गाटा स0–28, ग्राम सिकन्दरपुर भुकरावली, तहसील कोल, जनपद अलीगढ पर मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 का नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में मानचित्रों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन व अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था पेट्रोलियम नियम–2002 तथा ओ.आई.एस.डी.–225 में उल्लेखित नियमों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा नवीन रिटेल आउट लेट का प्रयोग करने से पहले अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाऍं मानकों के अनुरूप भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा फिलिंग स्टेशन आउटलेट हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक–अनुमोदित मानचित्र

7/4/2017

(विवेक कुमार शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अलीगढ़।

प्रतिलिपि– उप निदेशक, फायर सर्विस आगरा परिक्षेत्र आगरा महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अग्निशमन अधिकारी, बन्नादेवी अलीगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Bharat Petroleum Corporation Limited
Territory Office Mathura

प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल) मथुरा
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्लॉट डी–1, रोड नं 26, इंडस्ट्रियल एरिया,
साइट–बी, पो. रिफाइनरी, मथुरा–281005